न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 11/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा– लक्ष्मणगढ़, सेठों का बाजार,, लक्ष्मणगढ़, सीकर– 332311
प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. मै. सन्तोष सोप इंडस्ट्रीज, प्रो. महेन्द्र कुमार पुत्र जोरू राम जाट, गांव भोजासर छोटा, पोस्ट भोजासर बड़ा, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर – 332311 अप्रार्थी/ऋणी
2. जोरू राम पुत्र नारायण राम जाट, गांव भोजासर छोटा, पोस्ट भोजासर बड़ा, लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर – 332311 जमानतदार

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 25 जनवरी, 2018

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not Official

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **सुरेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **मै. सन्तोष सोप इंडस्ट्रीज, प्रो. महेन्द्र कुमार, जोरू राम** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **Equitable Mortgage of Property Located at Village Bhojasar ChhotaLaxmangarh, Sikar, Rajasthan. belonging to Joru Ram Jat s/o narayan Ram Bounded by North Rasta, South by Land of Joru Ram, East by Land of Joru Ram, West by Land of Joru Ram.** को बंधक रखकर **14,92,000**/–रूपये (अक्षरे रूपये **चौदह लाख बानवे हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **25.10.2017** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **25.10.2017** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **मै. सन्तोष सोप इंडस्ट्रीज, प्रो. महेन्द्र कुमार, जोरू राम** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **Equitable Mortgage of Property Located at Village Bhojasar ChhotaLaxmangarh, Sikar, Rajasthan. belonging to Joru Ram Jat s/o narayan Ram Bounded by North Rasta, South by Land of Joru Ram, East by Land of Joru Ram, West by Land of Joru Ram.** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः 25 जनवरी, 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official